हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष, 2015 की द्वितीय नियमित बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को अपराह्न 2–00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित सम्माननीय सदस्य उपस्थित हुए :–

1– आचार्य राजेन्द्र सिंह चौहान
2– श्री पी0सी0 धीमान
3– श्री राजेश शर्मा
4– आचार्य पी0एन0 बंसल
5– श्री कृष्ण वैद्य
6– श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
7– आचार्य सतीश चन्द भढवाल
8– श्री चन्द्र शेखर
9– श्री देवी राम वर्मा
10–श्री हरीश जनारथा
11–डॉ0 अनुराग शर्मा
12–प्रो0 मोहन झारटा –कुलसचिव

सदस्य–सचिव

<u>मद संख्य–1 :</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की ***वर्ष 2015 की दूसरी नियमित बैठक*** में मैं आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ।

कार्यकारिणी परिषद् को सूचित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि विश्वविद्यालय का 22वां दीक्षांत समारोह दिनांक 9 जून, 2015 को प्रातः 11:00 बजे सभागार में आयोजित किया जाएगा जिसमें भारत के महामहिम उप–राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी जी मुख्य अतिथि होंगे और दीक्षांत उद्बोधन देंगे।

हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह जी इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री वीरभद्र सिंह जी इस अवसर पर अति विशिष्ट अतिथि होंगे।

इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं:–

- दिनांक 2 अप्रैल, 2015 को ***आंतरिक गुणवत्ता विश्वसनीयता प्रकोष्ठ*** द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता पर विचार विमर्श के लिए एक विस्तृत बैठक का आयोजन किया गया।

- दिनांक 13 अप्रैल, 2015 को ***विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जयपुर में आयोजित सी.बी.सी.एस.*** के सम्बन्ध में आयोजित की गई बैठक में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुआ।

- दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को ***कन्या छात्रावास परिसर में चन्द्रभागा कन्या छात्रावास के वार्षिक समारोह*** आयोजित किया गया।

- दिनांक 18 अप्रैल, 2015 को पीटर हॉफ में आयोजित की गई ***राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 17वें अखिल भारतीय सम्मेलन*** में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुआ।

- दिनांक 18 अप्रैल, 2015 को ही ***विश्वविद्यालय प्रबन्धन स्कूल*** द्वारा आयोजित एक सप्ताह तक चलने वाली ***शोध प्रणाली कार्यशाला*** का शुभारम्भ हुआ।

- दिनांक 20 अप्रैल, 2015 को ***यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र*** द्वारा आरम्भ हुए उन्मुखी कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

- दिनांक 20 अप्रैल, 2015 को ही ***कन्या छात्रावास परिसर में रानी लक्ष्मीबाई कन्या छात्रावास*** के वार्षिक समारोह आयोजित किया गया।

- दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को नौणी स्थित ***डॉ.यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय*** द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

- दिनांक 23 व 24 अप्रैल, 2015 को केन्द्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में आयोजित ***चयन समिति एवं अन्य बैठकों*** में सम्मिलित हुआ।

- दिनांक 25 अप्रैल, 2015 को ***श्रीमद्भगवतगीता और शिक्षा*** विषय पर भोपाल में लोकप्रिय व्याख्यान दिया।

- दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को ही ***कन्या छात्रावास परिसर में आई.टी.एच. कन्या छात्रावास*** के वार्षिक समारोह आयोजित किया गया।

अब मैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव से आग्रह करता हूं कि आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

<u>मद संख्या–</u>2: कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठक दिनांक 31–3–2015 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 31–3–2015 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया ।

मद संख्या –3 : कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठक दिनांक 31–3–2015 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 31–3–2015 में लिए गए निर्णयों का निम्नलिखित संशोधन/टिप्पणी के साथ अनुमोदन किया :–

(मद संख्या–21(10): कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र में फार्मासिस्ट (Allopathy) के सृजित दो पदों में से एक पद आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में अनुबंध आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुर्वेद विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार इस शर्त पर परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की कि प्रकरण को वित्त समिति को रिपोर्ट किया जाये ।

(मद संख्या–21(12): सम्माननीय सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने सहायक कुलसचिव और अनुभाग अधिकारियों के वेतनमान में आई वेतन विसंगति का मामला उठाया जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने यह निर्णय लिया कि मामले को पूर्ण तथ्यों के साथ परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत किया
जाये ।

(मद संख्या–21(16): कार्यकारिणी परिषद् ने कार्यवाही की पंक्ति–2 व 5 में उल्लेखित शब्द **पंजाब पद्धति** के स्थान पर **पंजाब विश्वविद्यालय** शब्द रिकॉर्ड करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

(मद संख्या–21(18): कार्यकारिणी परिषद् ने इस मद के अन्तिम पैरा की प्रथम पंक्ति में **भाड़ा सुरक्षा गार्ड (Hired Home Guard)** शब्दों में उल्लेखित शब्द **Home Guard** को **सुरक्षा गार्ड** संशोधित करने हेतु अनुमोदित किया ।

(मद संख्या–24): कार्यकारिणी परिषद् ने इस मद के अंतर्गत लिये गये निर्णय के प्रारम्भ में निम्नलिखित पैरा जोड़ने का निर्णय लिया:–

"एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान में अनुबंध आधार पर कार्यरत शोध अधिकारियों/प्रोजेक्ट अधिकारियों की 6 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् नियमितीकरण के प्रकरण को सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा–निर्देशों के आलोक में

गठित छानबीन/पात्रता समिति की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया" । कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि इन शोध अधिकारियों/प्रोजेक्ट अधिकारियों के नियमितीकरण की पात्रता वित्त समिति/कार्यकारिणी परिषद् द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना की तिथि से ही मान्य समझी जायेगी ।

मद संख्या–4 : कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12–सी (7) के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाना ।

.....

कुलपति महोदय ने उपरोक्त प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की है ।

मद संख्या –5 : कार्यकारिणी परिषद के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है ।

....

कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से निर्धारित अवधि के अन्दर कोई मद प्राप्त नहीं हुई है ।

मद संख्या–6: विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह आयोजित करने के लिए विनियम बनाने हेतु गठित समिति की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह आयोजित करने के लिए विनियम बनाने हेतु गठित समिति की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या–7: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विज्ञान एवं तकनीकी उद्यमिता पार्क (H.P. STEP) के कर्मचारियों को कार्यकारिणी परिषद् के मद संख्या–16 दिनांक 31–01–2012 के अंतर्गत लिए गए निर्णयानुसार उनके वेतन, पेन्शन तथा अन्य आवर्ती खर्चे प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर चर्चा के उपरान्त विज्ञान एवं तकनीकी उद्यमिता पार्क (H.P. STEP) के सम्बन्ध में मद संख्या–16 दिनांक 31–01–2012 के निर्णय के परिप्रेक्ष में यह अनुमोदित किया कि विज्ञान एवं तकनीकी उद्यमिता पार्क के विश्वविद्यालय में विलयित कर्मचारियों के वेतन, पेन्शन व अन्य आवर्ती खर्चे विश्वविद्यालय द्वारा वहन किये जायेंगे। परिषद् को यह भी ज्ञात हुआ है कि विज्ञान एवं

तकनीकी उद्यमिता पार्क के कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है इस पर माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी ।

मद संख्या–8: To place before the Executive Council the matter with regard to implement instructions/proposal of the Government of H.P. regarding introducing the Rain Water Harvesting Management System in all the educational Institutions (i.e. Government/Private Colleges), in the State inclusive of H.P. University by their respective authorities (Principal/Head of Institution), amendment in the Ordinance/Statutes/Handbook of H.P. University in the relevant clause in this regard

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तार से विचार–विमर्श करने के उपरान्त विश्वविद्यालय के सभी भवनों में चरणबद्ध तरीके से वर्षा जल–संग्रह प्रबन्धन योजना को लागू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या–9: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता NET/SET/SLET की आवश्यक शर्त के सम्बन्ध में ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा CIVIL APPPEAL Nos. ….of 2015 (ARISING OUT OF SLP(CIVIL) NOS. 36023-36032 OF 2010) P. SUSHEELA & ORS. ETC.ETC.(APPELANTS) VERSUS UNIVERSITY GRANTS COMMISSION & ORS. ETC. ETC. (RESPONDENTS) के अंतर्गत पारित निर्णय को मध्यनजर रखते हुये विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पदों को भरने के लिए जारी विज्ञापन संख्या–भर्ती–1/2014 दिनांक 8–9–2014 में संशोधन करते हुये केवल सहायक आचार्यों के पदों को NET पास की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रखने की शर्त के साथ पुनः विज्ञापित करने हेतु अनुमोदित किया। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता से परामर्श लेना भी उपयुक्त होगा।

मद संख्या–10: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह को आयोजित करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय का 22वां दीक्षांत समारोह 9 जून, 2015 को आयोजित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या–11: कार्यकारिणी परिषद् की बैठक दिनांक 31–1–2012 के अंतर्गत अध्यापक कल्याण निधि से चण्डीगढ़ या इसके आस–पास अतिथि गृह के लिए भूमि तलाशने हेतु अधिसूचित समिति की सदस्यता में कुलपति महोदय द्वारा किये गये परिवर्तन कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने अध्यापक कल्याण निधि से चण्डीगढ़ या इसके आस–पास अतिथि गृह बनाने के लिए भूमि तलाशने हेतु अधिसूचित समिति की सदस्यता में कुलपति महोदय द्वारा किये गये परिवर्तन को नोट कर अनुमोदित किया ।

यथा–स्थान मदें :–

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल

सम्माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में कई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हैं उन्हें लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाये। इस बारे कार्यकारिणी परिषद् को अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय में पहले ही चतुर्थ श्रेणी से लिपिक के पद पर निर्धारित कोटे से अधिक पदोन्नतियां की जा चुकी हैं। अतः इस पर अभी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती है ।

श्री चन्द्र शेखर

सम्माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने विश्वविद्यालय में रूसा प्रणाली को सही ढंग से लागू न करने के मामले पर विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा सौंपे गये ज्ञापन का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखा और कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को कर्मचारियों द्वारा रूसा प्रणाली के बारे उठाई गई आपत्तियों पर विचार–विमर्श कर और कर्मचारियों के साथ बैठक कर इनका समाधान करना चाहिये ताकि विश्वविद्यालय में आये दिन धरना, प्रदर्शन न हों जिसका परिषद् के सभी सम्माननीय सदस्यों ने भी समर्थन किया जिस पर कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत करवाया कि रूसा प्रणाली को सही ढंग से लागू

करने के लिए और कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए माननीय प्रतिकुलपति जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है यह समिति इस सारे मामले का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

श्री चन्द्र शेखर ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में फीस बृद्धि के बारे में कई छात्र संगठनों द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है जिससे प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय की छवि खराब हो रही है । अतः इस बारे विश्वविद्यालय के जन सम्पर्क विभाग को आवश्यक प्रैस नोट जारी कर विशविद्यालय का पक्ष रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जायें जिस पर माननीय कुलपति जी ने परिषद् को अवगत करवाया कि फीस बृद्धि के बारे में गठित High Power Comiittee की सिफारिशें वित्त समिति के समक्ष रखी जायेगी ।

इसके अतिरिक्त सम्माननीय सदस्य ने मण्डी जिले के धर्मपुर महाविद्यालय में बी.बी.ए. और बी.सी.ए. पाठ्यक्रम शुरू करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखा और कहा कि धर्मपुर महाविद्यालय में बी.बी.ए. और बी.सी.ए. की 20–20 सीटें आंवटित की जायें । जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रथमतः प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जाये तदोपरान्त इस मामले में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी ।

<u>श्री हरीश जनारथा</u>

सम्माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा ने एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान में कुछ अन्य आवश्यक पदों के सृजन का मामला उठाया और कहा इस संस्थान में पदों के सृजन के लिए मामला वित्त समिति के समक्ष रखा जाये ताकि संस्थान का कार्य सुचारू रूप से चल सके । सम्माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हिमालयन अध्ययन संस्थान में छात्रों को बिठाने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जाये ताकि छात्रों को अध्ययन करने में कोई असुविधा न हो ।

श्री जनारथा जी ने यह भी कहा कि छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में एक और कैंटीन की व्यवस्था की जाये ताकि परिसर में अध्ययन कर रहे और बाहर से विश्वविद्यालय में आने वाले छात्रों को जल–पान की वेहतर सुविधा मिल सके । जिसका सम्माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने भी समर्थन किया ।

इसके अतिरिक्त श्री जनारथा जी ने कहा कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में निर्माण मण्डल के अधीन तीन विंग अर्थात निर्माण मण्डल, रूपांकन (Design) प्रकोष्ठ और वास्तुकार (Architect) प्रकोष्ठ कार्यरत हैं, वर्तमान में विश्वविद्यालय में दो अधिशासी अभियन्ता कार्यरत है लेकिन कार्य का आबंटन सही

ढंग से नहीं है जिससे कि विश्वविद्यालय को विभिन्न एजैंसियों से प्राप्त अनुदान राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। और कई बार यह अनुदान राशि बिना खर्च किये ही लय (Lapse) हो जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय कई अन्य स्थानों जैसे घणाहट्टी, मण्डी और ऊना में अपने क्षेत्रीय केन्द्र खालने जा रहा है और इन सब कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए निर्माण मण्डल के कार्य का विकेन्द्रीकरण करने के लिए एक दस्तावेज कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया । श्री जनारथा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर चर्चा करने के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि इस दस्तावेज का परीक्षण कर मामले को पूर्ण तथ्यों के साथ कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

श्री देवी राम वर्मा

सम्माननीय सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने कार्यकारिणी परिषद के समक्ष यह मामला उठाया कि विश्वविद्यालय में जो दैनिक भोगी कर्मचारी सात वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उनकी सेवाओं को विश्वविद्यालय में नियमित किया जाये जिस पर परिषद् ने निर्णय लिया कि दैनिक भोगी कर्मचारी जो सात वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्हें स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों व नियमों के अनुसार नियमित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये ।

बैठक के अन्त में कार्यकारिणी परिषद् ने विभिन्न कर्मचारी एवं छात्र संगठनों द्वारा सौंपे गये मांग–पत्रों पर चर्चा की और निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन कर्मचारी व छात्र संगठनों द्वारा सौंपे गये मॉग–पत्रों का परीक्षण कर इनकी उचित मॉगों पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाये।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(आचार्य मोहन झारटा)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0/–
(आचार्य ए.डी.एन. बाजपेयी)
सभापति/कुलपति